दामोदर बनाम महेश

123/2024

27/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित ... प्रार्थी ... जवाब ... पत्रावली वास्ते ... दिनांक 6/11/2024 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

6/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित ... अधिवक्ता ... पत्रावली दिनांक 8/11/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

8/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित ... पत्रावली ... स्वीकार ... किया जाता है ... पत्रावली ... फैसला ... दाखिल दफ्तर हो।

दामोदर
8/11/24

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

यूनिक स्टेशनर्स, 251, चौड़ा रास्ता, जयपुर

अण्डरटेकिंग

समक्ष न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी-सांगानेर

दामोदर व अन्य बनाम मुकेश महेश मीणा

वाद/अपील/निगरानी/प्रार्थना पत्र धारा/वाद संख्या धारा-188 रा॰ का॰ अधि॰ 1955

पक्षकार का नाम दामोदर व अन्य

पिता का नाम श्री धाजूराम

स्थायी निवासी ग्राम वाटिका तह॰ सांगानेर जिला जयपुर

मो. नम्बर 9784054207

ई-मेल आईडी m.9784054207@gmail.com

पक्षकार के अधिवक्ता का नाम महेन्द्र सिंह कांवरिया

पक्षकार के अधिवक्ता का मोबाइल नम्बर 9784054207

सत्यापन

मैं दामोदर पुत्र धाजूराम निवासी ग्राम वाटिका तह॰ सांगानेर जिला जयपुर अण्डरटेकिंग देता हूँ कि भविष्य में उक्त विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर न्यायालय को सूचित कर दूँगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
दावा संख्या : 123/2024
निर्णय दिनांक : 08.11.2024

उनवान

1. दामोदर पुत्र छाजूराम उम्र 39 वर्ष
2. नाथूराम पुत्र छाजूराम उम्र 35 वर्ष
3. भंवरलाल पुत्र छाजूराम उम्र 47 वर्ष निवासीगण ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. महेश मीणा पुत्र नैनूराम उम्र वयस्क निवासी नांगल पूरण जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक: 08.11.2024

वादीगण का वाद इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की संयुक्त अविभाजित आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खाता संख्या नया 1430 पुराना 1284 के अंतर्गत खसरा नंबर 3398 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा नंबर 3413 रकबा 0.6500 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 6721/3407 रकबा 0.0900 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7700 हेक्टेयर स्थित है। वादीगण के उक्त खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 3413 के पूर्वी दिशा में चरपेटवा प्रतिवादी की भूमि खसरा नंबर 6723/3417 व खसरा नंबर 6725/3418 स्थित है। प्रतिवादी के मन में बदनियती आ गयी है तथा वह अनुचित रूप से जबरन वादीगण के खसरा नंबर 3413 की भूमि में अतिक्रमण करते हुए वादीगण की भूमि को स्वयं की भूमि में मिलाना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 26–4–2024 को प्रतिवादी ने वादीगण के खसरा नंबर 3413 की भूमि में कब्जा करने के अलावा निर्माण कार्य शुरू कर दिया, वादीगण को पता चलने पर वादीगण ने प्रतिवादी से एतराज किया तो प्रतिवादी व उसके साथी ... झगडे पर आमादा हो गया एवं वादीगण को ऐलानिया धमकी दी ... निर्माण कराकर अपनी जमीन में मिलाकर रहूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते जो तुम्हारे बस में हो कर लेना। प्रतिवादी के उक्त कृत्य व दी गयी धमकीयों से वादीगण को यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

युक्तियुक्त आशंका हो गयी है कि प्रतिवादी, वादीगण के स्वामित्व व खातेदारी भूमि में जबरन निर्माण अतिक्रमण करके अपनी भूमि में मिला लेगा। इसलिए वादीगण को अपने सांपत्तिक हितो व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण, प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण की खातीधारी भूमि खसरा नंबर 3413 ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि के किसी भाग में जबरन निर्माण, खुदाई अतिक्रमण करके कब्जा नहीं करे तथा प्रतिवादी ना तो स्वयं ऐसा करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि से ऐसा करावे। वाद कारण दिनांक 26–04–2024 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि में जबरन निर्माण अतिक्रमण कर कब्जा करके स्वयं की भूमि में मिलाने की ऐलानिया धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी वादीगण की खातीधारी भूमि खसरा नंबर 3413 ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि के किसी भाग में जबरन निर्माण, खुदाई अतिक्रमण करके कब्जा नहीं करे तथा प्रतिवादी ना तो स्वयं ऐसा करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि से ऐसा करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर अदालत आये। प्रतिवादी 1 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जिसका सूक्ष्म इस प्रकार है कि वादीगण वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6723/3417 व खसरा नम्बर 6725/3418 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार मिन उत्तरदाता/प्रतिवादी है, वादीगण का उक्त भूमि खसरा नम्बर 6723/3417 व खसरा नम्बर 6725/3418 से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है, ना ही वादीगण खसरा नम्बर 6723/3417 व खसरा नम्बर 6725/3418 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक रिकॉर्डेड खातेदार के द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में वादीगण को खसरा नम्बर 6723/3417 व खसरा नम्बर 6725/3418 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, ना ही उसके सम्बन्ध [illegible] प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि [illegible] किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान [illegible] अधिकारी से करावा लेवें, परन्तु माननीय न्यायालय इस वाद के माध्यम से वादीगण क[illegible] किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मिन उत्तरदाता/प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है।

वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे जवाब दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पहुँचे है कि जमाबन्दी संवत 2074–2077 वाके ग्राम वाटिका , तहसील सांगानेर जयपुर के खाता संख्या 1284 में खसरा नं. 3398 रकबा 0.0300 है0, 3413 रकबा 0.6500 है0 व 6721/3407 रकबा 0. 0900 है0 के वादीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2074–2077 वाके ग्राम वाटिका , तहसील सांगानेर जयपुर के खाता संख्या 1430 में खसरा नं. 6723/3417 रकबा 0.0600 है0 व 6725/3418 रकबा 0.0800 है0 के प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार दर्ज है वादी व प्रतिवादी की आराजी उक्त नम्बरान में से खसरा नम्बर 3413 के पूर्वी दिशा में लगवा प्रतिवादी की खसरा नं. 6723/3417 रकबा 0.0600 है0 व 6725/3418 रकबा 0.0800 है0 स्थित है। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी में कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के किसी हिस्से पर जब तक सीमाज्ञान नही हो जाता तब तक उभयपक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 3413 रकबा 0.6500 हेक्टेयर वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि के किसी हिस्से पर जब तक सीमाज्ञान नही हो जाता तब तक उभयपक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त आराजी मौके की यथास्थिति बनाये रखे । पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर